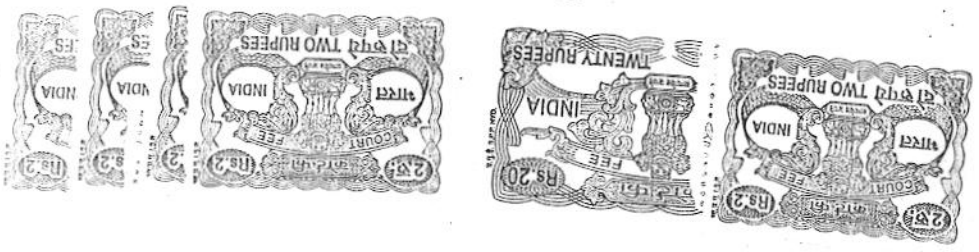

(112)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर A.R.-1711-I-16

देवी शंकर पुत्र श्री बजरंग लाल मीणा
निवासी – किलगावडी तहसील
श्योपुर जिला – श्योपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरूद्ध

1– प्रभूलाल पुत्र श्री गोपाल मीणा
2– रामचरण पुत्र श्री गोपाल मीणा
निवासी– मातासुला ग्राम रूपनगर
तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
.......अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील वृत–2 द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2015–16/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर का आदेश, अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होनें से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत अवैध एवं अनुचित होनें से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचनापत्र जारी किये बिना ही तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके पीठ पीछे तथाकथित सीमांकन कार्यवाही की गयी है। जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, सीमांकन कार्यवाही में मेढिया कृषक को सूचनापत्र दिया गया जाना अत्यधिक आवश्यक है, चूंकि इस प्रकरण में किसी भी मेढिया कृषक को ना तो सूचनापत्र दिया गया है और ना ही उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा धारा 129 सीमांकन भू–राजस्व संहिता के नियमों का विधिवत पालन किये बिना, जो कार्यवाही एवं आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1711-एक/16 जिला - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. व जिला श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर	